




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)


प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट  
रसीदन बनाम कमला देवी वगै०

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.04.2025	<p>आज यह प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट वारंटे अस्थाई निषेधाज्ञा वकील प्रार्थी ने दावे के साथ पेश किया। दावा वो प्रार्थना पत्र को पढा गया। वकील वादी/प्रार्थी को एक फ्लीय सुना गया। बहस वकील प्रार्थी वो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात वो शपथ पत्र प्रार्थी से प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला प्रतीत होता है। सुविधा सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है नापूर्ति क्षति भी प्रार्थी को ही है।</p> <p>अतः प्रतिवादीगण (अप्रार्थीगण) को जर्वे अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12.05.2025 तक इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण आराजी हाल ख० नं० 837 रकबा 0.42 हे० वाके ग्राम खानपुर मेदान तहसील किशनगढ़बास में विवादित आराजी पर मौका एव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।</p> <p>क्योना यह आज्ञा ताफैसला दावा स्थाई कर दी जावे जो भी आपति हो हाजिर अदालत होकर उत्तर पेश करे, प्रार्थी इस अमर का रजिस्टर्ड ए.डी.तलबाना पेश करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर दिनांक 12.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">                       उपखण्ड अधिकारी                      किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)                 </p> <p> <u>12/5/25</u> पञ्चावली पेश हुई। पी.ओ. साहब                      अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।                      उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक <u>02/06/25</u>                      को पेश हगे।                 </p> <p style="text-align: center;">                       र.र.                 </p>	


02/6/25 पञ्चावली पेश हुई। पी.ओ. साहब  
 अन्य कार्य में व्यस्त हैं/बाहर पधारे हैं।  
 उभयपक्ष के अभि उप. आयन्दा दिनांक 28/07/25  
 को पेश हगे।

  
 र.र.

28/07/25 वकील प्रार्थी 09/07/25 को वक्तव्य संख्या 15 तबली दिनांक 01/08/25 को पेश

  
 उपखण्ड अधिकारी  
 किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

पं०/३५ गवाकरी गेरा कुडी। आन्पत्र का मुक्ताद जर्गे आन्पत्र  
गिडा वे चुका है। उत्रः आन्पत्र २१२ रात की विशा/कषिक  
डिया जात है। आन्पत्र केवल चुमार लेकर संवम  
मुक्ताद रहे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
किसतगढ़बास (लैरघत-तिजारा)